भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1049
07 दिसंबर, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में ऑन्कोलॉजिस्ट

1049. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में ऑन्कोलॉजिस्ट (विकिरण, सर्जिकल, चिकित्सीय सहित) की कुल संख्या कितनी है साथ ही श्रेणी-वार उनकी विशेषज्ञता क्या है;
(ख) क्या सरकार ने ऑन्कोलॉजिस्ट विशेषकर विकिरण ऑन्कोलॉजिस्ट की संख्या में कोई कमी पाई है;
(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस अंतर को पाटने के लिए तथा ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए देश में चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क): राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देशभर में सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में ऑन्कोलॉजिस्ट (रेडिएशन, सर्जिकल, मेडिकल समेत) की संख्या साथ ही, उनकी विशेषज्ञता और श्रेणी से जुड़े आंकड़े केंद्र द्वारा नहीं रखे जाते हैं। तथापि, ब्रॉड स्पेशियलिटी और सुपर स्पेशियलिटी स्तर पर, **अनुलग्नक** में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, ऑन्कोलॉजी की विभिन्न विशेषज्ञताओं में ऑन्कोलॉजी में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ख) से (घ): सरकार ने देश में चिकित्सीय संस्थानों में चिकित्सकों और संकाय की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. देश के अल्पसेवित जिलों में जिला अस्पताल का उन्नयन करके नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम चलायी गई है। इस स्कीम के तहत देशभर में तीन चरणों में 157 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है जिनमें से 70 कार्यशील हो गए हैं।

ii. एमबीबीएस और स्नातकोत्तर सीटों को बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकारी/केंद्र सरकारी मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन हेतु केंद्र प्रायोजित स्कीम।

iii. सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों का निर्माण करके सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उन्नयन हेतु केंद्र प्रायोजित स्कीम के तहत कुल 75 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं।

iv. नए एम्स की स्थापना हेतु केंद्र प्रायोजित स्कीम के तहत, 22 एम्स को मंजूरी दी गई है। 18 एम्स में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं।

v. मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए संकाय, स्टॉफ, बिस्तरों की संख्या और अन्य अवसंरचना संबंधी अपेक्षाओं के मानकों में छूट दी गई है।

vi. संकाय की कमी को दूर करने के लिए डीएनबी अर्हता को संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए मान्य किया गया है।

vii. मेडिकल कॉलेजों में अध्यापकों/डीन/प्रधानाचार्य/निदेशक के पदों पर नियुक्ति/सेवा विस्तार/पुन: नियुक्ति के लिए आयु-सीमा को बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया है।

अनुलग्नक

क्र.सं.	**पाठ्यक्रम का नाम**	**सीटो की संख्या**
1.	डीएम (ऑन्कोलॉजी)	139
2.	एम.सीएच (सर्जिकल ऑन्कोलॉजी)	176
3.	एमडी (रेडियोथेरेपी/रेडिएशन ऑन्कोलॉजी)	594
4	डीएम (ओंको-पैथोलॉजी)	15
5	डीएम (ओंको-एनेस्थिसियोलॉजी एंड पैलिएटिव मेडिसिन)	2
6	डीएम (पेल्लिएटिव ऑन्कोलॉजी)	2
7	डीएम (पीडीयाट्रिक ऑन्कोलॉजी)	13
8	डीएम (प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी)	1
9	डीएम (पीडीयाट्रिक पल्मो-ऑन्कोलॉजी और इंटेन्सिव केयर)	6
10	डीएम (रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, हेड एंड नेक न्यूरो)	4
11	डीएम रेडिएशन ऑन्कोलॉजी (यूरोजेनिटल और जिम)	4
12	डीएम (रेडियोथेरेपी और ऑन्कोलॉजी)	2
	कुल	958

******